न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 765/ 2019

1 सुशील यादव पुत्र विनोद कुमार जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सरोज पत्नी विनोद कुमार जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 आदित्य पुत्र प्रमोद कुमार यादव जाति यादव निवासी मन्नीवाली नाबालिग जरिये कुदरती वली माता ममता पत्नी प्रमोद कुमार यादव जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 ममता पत्नी प्रमोद कुमार यादव जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 महावीर पुत्र हरीराम जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 चन्द्रावती देवी पत्नी महावीर जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 विनोद कुमार पुत्र महावीर जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 प्रमोद कुमार यादव पुत्र महावीर जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 4

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 3/12/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 37 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 50/49 प.न. 60/153 मु.न. 39 कि.न. 15/2 में 0.127 है. नहरी मय गे.मु. रासता, प.न. 61/153 मु.न. 40 कि.न. 3, 4, 7 ता 14, 16 ता 25 में 5.060 है. नहरी मय खाला, प.न. 61/154 मु.न. 43 कि.न. 1, 2 में 0.506 है. नहरी कुल खाता 5.693 है. नहरी मय गै.मु. रासता, खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। चक 32 पी टीपी जमाबंदीसम्वत 2068–2071 खाता संख्या 21/80 प.न. 67/163 मु.न. 13 कि.न. 24, 25 मे 0.506 है. नहरी मय गे.मु. रासता, प.न. 68/163 मु.न. 14 कि.न. 5 ता 8, 11 ता 25 में 4.807 हे. नहरी, प.न. 69/163 मु.न. 15 कि.न. 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.783 है. नहरी, प.न. 68/166 मु.न. 36 कि.न. 18 ता 20 में 0.759 है. नहरी, कुल खाता8.855 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.952 हे. आराजीदर्ज कागजात माल है। चक 32 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 46/39 प.न. 68/166 मु.न.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

36 कि.न. 6 ता 12 में 1.771 है. नहरी बारानी मय गै.मु. रासता आराजी प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है।वादीगण एव प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एव पक्षकारान हिन्दू विधि से शासित है। प्रतिवादीसंखय 1 के नाम दर्ज वादाधीन आराजी विरासतन भूमि है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुयी है एव वादीगण संख्या 1 व 3 प्रतिवादीसंख्या 1 के पौत्र है जो कि वादाधीन विरातसन भूमि में वादीगण का कानूनन हक व हिस्सा बनता है। वादाधीन प्रतिवादीसंख्या 1 केनाम दर्ज आराजी मेंवादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो चूकाहै एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार वादीगण कोप्रतिवादी संख्या 1 केनाम से दर्ज चक 37 पी टी पी की 5.693 हे. आराजी में से वादीगण संख्या 1 ता 4 को प्रतयेक को 1.012 है. आराजी व प्रतिवादी संख्या 2 को 1. 645 है. आराजी प्राप्त हुयी है एव चक 32 पी टी पी की शेष आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 3 व 4 को प्राप्त हुयी है एव इसी अनूसार वादीगण एव प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम मुताबिक पारिवारिक बंटवारा दर्ज रिकॉर्ड ना होकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रहने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अनय सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य अक्सर विवाद की स्थिती बनी रहती है जिस कारण वादीगण अपने हक हिस्सा की आराजी को मन लगाकर काश्त कर पाने मे असमर्थ है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्साएव कब्जा काश्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 37 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 50/49 प.न. 60/153 मु.न. 39 कि.न. 15/2 में 0.127 है. नहरी मय गे.मु. रासता, प.न. 61/153 मु.न. 40 कि.न. 3, 4, 7 ता 14, 16 ता 25 में 5.060 है. नहरी मय खाला, प.न. 61/154 मु.न. 43 कि.न. 1, 2 में 0.506 है. नहरी कुल खाता 5.693 है. नहरी मय गै.मु. रासता, खाला आराजी में से वादी संख्या 1 को 1.012 है. , वादीसंख्या 2 को 1.012 है., वादी संख्या 3 को 1.012 है. व वादी संख्या 4 को 1.012 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एव प्रतिवादी संख्या 2 ने काउन्टर क्लैम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 37 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 50/49 प.न. 60/153 मु.न. 39 कि.न. 15/2 में 0.127 है. नहरी मय गे.मु. रासता, प.न. 61/153 मु.न. 40 कि.न. 3, 4, 7 ता 14, 16 ता 25 में 5.060 है. नहरी मय खाला, प.न. 61/154 मु.न. 43 कि.न. 1, 2 में 0.506 है. नहरी कुल खाता 5.693 है. नहरी मय गै.मु. रासता, खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 को 1.645 है. आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर काउन्टर क्लैम डिक्री किये का जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादीगण ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव उक्त आराजी के अलावा भी प्रतिवादी के पास अन्य खातों में आराजी है जिसका बंटवारा होकर एव अपने अपने हक हिस्सा में होना सभी पक्षकारान ने स्वीकार किया है। वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है ,एव वादीगण के कथनों के सम्बध में प्रतिवादी ने कोई विरोध नही किया है, इस प्रकार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने दावा व प्रतिदावा को अभिकथनों, दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादीगण एव काउन्टर क्लैम प्रतिवादी संख्या 2 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण व काउन्टर क्लैम प्रतिवादी संख्या 2 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 37 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 50/49 प.न. 60/153 मु.न. 39 कि.न. 15/2 में 0.127 है. नहरी मय गे.मु. रासता, प.न. 61/153 मु.न. 40 कि.न. 3, 4, 7 ता 14, 16 ता 25 में 5.060 है. नहरी मय खाला, प.न. 61/154 मु.न. 43 कि.न. 1, 2 में 0.506 है. नहरी कुल खाता 5.693 है. नहरी मय गै.मु. रासता, खाला आराजी में से वादी संख्या 1 को 1.012 है. , वादी संख्या 2 को 1.012 है., वादी संख्या 3 को 1.012 है. व वादी संख्या 4 को 1.012 है. एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1.645 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/12/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 765 / 2019

1 सुशील यादव पुत्र विनोद कुमार जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सरोज पत्नी विनोद कुमार जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 आदित्य पुत्र प्रमोद कुमार यादव जाति यादव निवासी मन्नीवाली नाबालिग जरिये कुदरती वली माता ममता पत्नी प्रमोद कुमार यादव जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 ममता पत्नी प्रमोद कुमार यादव जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर वादीगण

बनाम

1 महावीर पुत्र हरीराम जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 चन्द्रावती देवी पत्नी महावीर जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 विनोद कुमार पुत्र महावीर जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 प्रमोद कुमार यादव पुत्र महावीर जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 37 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 50 / 49 प.न. 60 / 153 मु.न. 39 कि.न. 15 / 2 में 0.127 है. नहरी मय गै.मु. रासता, प.न. 61 / 153 मु.न. 40 कि.न. 3, 4, 7 ता 14, 16 ता 25 में 5.060 है. नहरी मय खाला, प.न. 61 / 154 मु.न. 43 कि.न. 1, 2 में 0.506 है. नहरी कुल खाता 5. 693 है. नहरी मय गै.मु. रासता, खाला आराजी में से वादी संख्या 1 को 1.012 है. , वादी संख्या 2 को 1.012 है., वादी संख्या 3 को 1.012 है. व वादी संख्या 4 को 1.012 है. एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1.645 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3/12/19 को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड सादुलशहर (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.14 15:32:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: